न्यायालय, मुंसिफ, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–108 / 2022

प्रवीण कुमार वगैरह.....वादीगण

बनाम

विजय पासवान वगैरह.....प्रतिवादीगण

आदेश

19.07.2023 अभिलेख आज वादी की ओर से दाखिल अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सी.पी.सी. आवेदन दिनांक–22.02.2023 तथा प्रतिवादी की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक 25.05.2023 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया।

अपने आवेदन में वादी ने निवेदन किया है कि प्रस्तुत वाद वादपत्र के मद नं0 2,3,4 पर हकियत की उद्घोषणा के साथ प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दाखिल किया गया है। प्रतिवादी विवादी स्थल पर ईट, बालू, गिट्टी व सिमेंट आदि अवैध निर्माण करने हेतु रखे हुए हैं एवं विवादी भूभाग का भौतिक स्वरूप बदलने पर आमदा है जिस कारण साधारण अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर प्रतिवेदन मंगाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादी अधिवक्ता आयुक्त की फीस की राशि न्यायालय में जमा करने को तैयार है। अतः निवेदन है कि वादी का आवेदन स्वीकृत करते हुए अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने की कृपा की जाय।

प्रतिवादी सं03 की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर में निवेदन किया गया है कि वादी द्वारा दाखिल आवेदन मनगढ़त एवं काल्पनिक है। प्रतिवादीगण का विवादित भूभाग पर आवासीय मकान एवं शौचालय बना हुआ है और प्रतिवादी सपरिवार उक्त मकान में रहते आ रहे है और माल मवेशी वगैरह बांधते हैं जिसका उल्लेख प्रतिवादी ने अपने वयान तहरीर में भी किया है। वादी का आवेदन गलत कथनो के साथ दाखिल किया गया है। अतः निवेदन है कि वादी द्वारा दाखिल आवेदन दि0 22.2.2023 को खारिज करने की कृपा की जाय।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद विवादित भूमि पर हकियत की उद्घोषणा एवं दखल कब्जा वापसी की डिक्री पाने के साथ प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री के लिए दाखिल किया है। वादी ने अपने वादपत्र में ही प्रतिवादीगण के द्वारा अवैध निर्माण किये जाने की बात स्वीकृत है। अतः विवादी भूमि पर किसी प्रकार अण्वेषण उसके वैज्ञानिक माप द्वारा ही सम्भव है जो सामान्य अधिवक्ता द्वारा प्रतिवेदित नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर जब तक वादी के स्वंय का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष नहीं आ जाता है तब तक किसी प्रकार का कब्जा के संबंध में प्रतिवेदन मंगाया जाना यह निर्देशित करेगा कि न्यायालय द्वारा संबंधित पक्षकार के पक्ष में कब्जा के संदर्भ में साक्ष्य संग्रह किया जा रहा है। अतएव वादी द्वारा दाखिल आवेदन खारिज किया जाता है। वादी यदि चाहे तो साक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त नये शिरे से इस आशय का आवेदन दाखिल कर सकते हैं।

वाद दिनांक 27–07–2023 वास्ते निषेधाज्ञा आवेदन पर सुनवाई हेतु।

राजीव कुमार,
मुंसिफ, पटोरी